

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022**

IN THE MATTER OF

**News Item published in The Hindu dated 27 March 2022
titled "Digging up the Chambal"**

INDEX

Sr.No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 19.01.2024 ALONGWITH AFFIDAVIT	1-4
2.	ANNEXURE A-1: COPY OF THE NOTIFICATION NO. F-15-5-77(10(2)) ISSUED BY THE STATE OF MADHYA PRADESH DATED 20.12.1978	5-6
3.	ANNEXURE A-2: COPY OF THE NOTIFICATION NO. 15-12-X(2)-82 DATED 17.06.1983 ISSUED BY THE STATE OF MADHYA PRADESH DATED 17.06.1983.	7-8
4.	ANNEXURE A-3: COPY OF THE LETTER DATED 25.01.24 ISSUED BY THE OFFICE OF PCCF(WL) REGARDING THE STATUS OF FINAL NOTIFICATION UNDER SECTION 26(A) OF WILDLIFE PROTECTION, ACT, 1972	9
5.	VAKALATNAMA	10

**Place: New Delhi
Date: - 13.02.2024**

**The State of Madhya Pradesh
Through its Counsel**



**Rukhmini Bobde,
Advocate,
D-366, Ground Floor, Defence Colony,
New Delhi-110024**

**Email: admin@rsbobde.com
Phone No. +91-8130015770**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

**News Item published in The Hindu dated 27 March 2022
titled “Digging up the Chambal”**

**REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA
PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED
19.01.2024 ALONGWITH AFFIDAVIT**

1. The present Original Application was taken up by Hon’ble National Green Tribunal on the basis of captioned media report to the effect that illegal mining was taking place in the periphery of Keoladeo National Park in Rajasthan near Dholpur, close to National Chambal Sanctuary which was the habitat of rare species of animals particularly Gharial, roofed turtles and also river dolphins.
2. That vide order dated 19.01.2024 in the present matter, the Hon’ble Tribunal had directed as follows:

“Learned Counsel appearing for the State of MP seeks two weeks’ time to place on record the original notification by which the National Chambal Sanctuary was notified and also to show that the said Notification was issued by the State in terms of Section 18 read with Section 26(A) of the Wildlife Protection Act, 1972 and now the exclusion is in terms of sub-Section 3 of Section 26(A) of the Act. Let the

fresh report disclosing the above facts along with the necessary documents be filed within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

3. It is submitted that under Section 18(1) of the Wildlife Protection Act, 1972, National Chambal Sanctuary was declared vide notification No. F-15-5-77(10)(2) dated 20.12.1978(*published in the gazette of M.P. on 23.11.1979*). That further as per notification No. 15-12-X(2)-82 dated 24-12-82(*published in the gazette of M.P. on 17.06.1983*), the boundary of the National Chambal Sanctuary was modified. A copy of the Notification No.F-15-5-77(10)(2) dated 20.12.1978 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-1** whereas the notification No. 15-12-X(2)-82 dated 17.06.1983 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-2**.
4. That since the process of settling the of claims in relation to any land in an area to be declared as a sanctuary is still under process, the notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 has of date not been issued. The clarification provided in this regard, by the office of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) vide letter dated 25.01.24 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-3**
5. That in view of the abovementioned, it is respectfully submitted that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass such order(s) as this Hon'ble Tribunal thinks fit in the

facts and circumstances of the case and in the interests of justice.

**The State of Madhya Pradesh
Through its Counsel**



**Rukhmini Bobde,
Advocate**

**Date: 13.02.2024
Place: New Delhi**

1734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 1979

[भाग 1]

therein and specified in the Schedule below, referred to the Conciliator for the local area of Ujjain :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 9-UJT/77.

क्र. ८१६०-११३५०-सोलह.—मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट, १९६० (२७ सन् १९६०) की धारा ४३ की उपधारा (५) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि उज्जैन के स्थानीय क्षेत्र के समाधानकर्ता (कंसोलिडेटर) को निर्दिष्ट उज्जैन मिल मजदूर संघ, उज्जैन और विनोद मिल कंपनी, उज्जैन को बीच औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कुछ औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक १ यजेटी-७७

No. 8160-11350-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government hereby notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between The Ujjain Mill Mazdoor Sangh and the Vinod Mills Co., Ujjain in regard to some of the industrial matters included therein and specified in the Schedule below, referred to the Conciliator for the local area of Ujjain :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1-UJT-77

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कि. वि. सिंह, उपसचिव.

वन-विभाग

भोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८

क्र. १५-५-७७-दस-२.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) की धारा १८ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र की मगर एवं घड़ियाल तथा अन्य पशु-पक्षियों के लिये राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य घोषित करता है.—

परिशिष्ट

जिला—मुरैना एवं भिण्ड.

वन मंडल का नाम—शयोपुर, मुरैना ।

अभयारण्य का नाम—राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य.

क्षेत्र का रकबा—३५८२ वर्ग किलोमीटर.

सीमा

उत्तर—मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राजस्थान राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा.

पश्चिम—मध्यप्रदेश-राजस्थान की अन्तर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी के उस स्थान तक जहाँ चम्बल दाहिनी मुख्य नहर पार्वती नदी को पार करती है.

दक्षिण—चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का उत्तरी भाग उस स्थान से जहाँ वह पार्वती नदी को पार करती है. तत्पश्चात् अम्बा शाखा नहर का उत्तरी किनारा राष्ट्रीय मार्ग क्र. ३ को मिलाने तक तत्पश्चात् राष्ट्रीय मार्ग क्र. ३ दक्षिण की ओर क्वारी नदी तक तत्पश्चात् क्वारी नदी का उत्तरी किनारा मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की सीमा तक.

पूर्व—मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा क्वारी नदी से उत्तर की ओर चम्बल नदी तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८

क्र. १५-५-७७-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसार में इस विभाग की अधिसूचना क्र. १५-५-७७-दस-२, दिनांक २० दिसम्बर १९७८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.

Bhopal, the 20th December 1978

No. F. 15-5-77-X(2).—In exercise of the powers conferred by section 18(i) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh State Government hereby declare the area specified in Schedule below as game sanctuary under the act for Crocodiles and Charials and animals birds in the said sanctuary :—

Schedule

District—Morena and Bind.

Name of Division—Sheopur, Morena.

Name of Sanctuary—National Chambal Sanctuary.

Area—3582 Sq. Km.

Boundaries

North—The inter-State boundary of Madhya Pradesh-Rajasthan and Madhya Pradesh-Uttar Pradesh.

West—The inter-State boundary of Madhya Pradesh-Rajasthan along the Parvati river to the point where the Chambal Right Main Canal crosses the Parvati.

South—The left bank of Chambal Right Main Canal from its crossing over Parvati to the commencement of Ambah branch Canal and along left bank of Ambah branch Canal to the point where it crosses National Highway 3, then along National Highway 3 south wards to the point where the road crosses the Kumvari River and along north bank of Kumvari River up to the Inter-State boundary of Madhya Pradesh-Uttar Pradesh.

East—The inter-State boundary of Madhya Pradesh-Uttar Pradesh from the point it crosses the Kumvari River north wards until it crosses the Chambal River.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २१ दिसम्बर १९७८

क्र. १५-१३-७८-दस-२.—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य जीव तथा उनके लिए आवश्यक परिस्थिति का संरक्षण करने, उसका विकास तथा विकास करने के प्रयोजन के लिए प्राणिशास्त्र तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है;

अतएव, वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ (क्र. ५३ सन् १९७२) की धारा १८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्र. ५७२६-३६२१-दस-२-७८, दिनांक ३ दिसम्बर १९७५ को अतिरिक्त करते हुए, राज्य शासन द्वारा उक्त क्षेत्र को अभयारण्य (संन्चरी) के रूप में घोषित करता है.

अनुसूची

जिला—बस्तर

वनमंडल—पश्चिम बस्तर I

परिक्षेत्र—तोयनार, मद्देड़, भोपाल पटनम

अभयारण्य का नाम—कुटरू अभयारण्य

क्षेत्र का रकबा—१२५८-३७२ वर्ग कि. मी.

सीमा

पूर्व—सागमेटा एवं माधोपुर संरक्षित वन खण्डों की पूर्वी सीमा जो कि फसंगढ़ पीलूर वन मार्ग से शुरू होकर इन्द्रावती नदी से मिलती है.

उत्तर—इन्द्रावती नदी.

पश्चिम—मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र की अन्तर्राज्यीय सीमा जो इन्द्रावती नदी बनाती है.

दक्षिण—इन्द्रावती नदी से इन्द्रावती संरक्षित वन खण्ड के कम्पार्टमेंट नं. १०९८/१०९९/१०९६, १०९४,

१०९३, १०९२, १०९१, १०९०, १०८३ की सीमाओं जल्लावागू आरक्षित वन खण्ड के कम्पार्टमेंट ५५७, ५८४, ५८३ की सीमाओं, जमशोरपुर आरक्षित वन खण्ड का कम्पार्टमेंट नं. ११३२, ११३१, ११३६, ११४३, ११४२, ११४१ की सीमाओं, बन्देपारा आरक्षित वन के कम्पार्टमेंट नं. ६३५, ६३६ की सीमाओं, तोयनार आरक्षित वन के कम्पार्टमेंट नं. ४५, ४६, ६०, ६२ की सीमाओं से होकर पीलूर-फसंगढ़ वन मार्ग होते हुए सागमेटा संरक्षित वन खण्ड की पूर्वी सीमा तक.

क्र. १५-१३-७८-दस-२.—वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ (क्र. ५३ सन् १९७२) की धारा ३६(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य शासन कुटरू अभयारण्य से लगे हुए निम्नानुसार वर्जित क्षेत्र की गेयरिजर्व घोषित करता है:—

अनुसूची

जिला—बस्तर.

वन मंडल—पश्चिम बस्तर

परिक्षेत्र—तोयनार, मद्देड़, भोपालपटनम, बीजापुर, भैरमगढ़.

क्षेत्र का रकबा—१५४०.७१४ वर्ग कि. मी.

सीमा

पूर्व—भोपालपटनम-जगदलपुर लोक निर्माण विभाग सड़क से शुरू होकर बरूड़ी नदी इन्द्रावती नदी एवं तत्पश्चात् इन्द्रावती नदी होकर कुटरू अभयारण्य की पूर्वी सीमा तक.

उत्तर—कुटरू अभयारण्य की दक्षिण सीमा.

पश्चिम—इन्द्रावती नदी.

दक्षिण—इन्द्रावती नदी से भोपालपटनम-जगदलपुर लोक निर्माण विभाग सड़क होकर बरूड़ी नदी तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. सी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २१ दिसम्बर १९७८

क्र. १५-१३-७८-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. १५-१३-७८-दस-२, दिनांक २१ दिसम्बर १९७८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. सी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

East.—The State boundary between Orissa and Madhya Pradesh along the Kolab river (Comprising boundaries of Comptt. 62, 65, 66 and 325).

South.—Starting from Kolab river, southern boundaries of Kanger Reserve Forest, Comptt. No. 325, 324, 323, 322 and the ridge passing through the Comptt. Nos. 321, 320 and 318 of Kanger Reserve Forest extending to Kanger Reserve Forest, western boundary of Comptt. 330, 331, 332, southern boundary of Comptt. 333, 339, 340, 344 and continuing up to the ridge passing through Comptt. No. 345, 347, 294, 287 & 288 and southern boundary of Comptt. 174, 175.

West.—Western boundary of Comptt. 175, boundary of Kanger Reserve Forest, Comptt. 172 and Katalgur Revenue Village, Southern, Western and Northern boundary of Comptt. 171; Southern boundary of Comptt. Nos. 85, 86, 87, 168, 165, 164, Western boundary of Kanger Reserve Forest comprising boundaries of Comptt. Nos. 165, 163 & 91.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1982

क्र. 15-12-दस(2)-82.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. एक. 15-5-77-दस (2), दिनांक 20 दिसम्बर 1978 का आंशिक संशोधन करते हुए नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को मगर एवं बड़ियाल तथा अन्य वन्य जीवों के लिये राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

त्रिज्या—नूरना एवं मिह

वन मंडल का नाम—बघोपुर, बालियर (सू-संरक्षण)

अभयारण्य का नाम—राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य.

सीमा

उत्तर—मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश-राजस्थान राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा.

पश्चिम—मध्यप्रदेश-राजस्थान की अन्तर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी के उस स्थान तक जहाँ चंबल दाहिनी मुख्य नहर पार्वती नदी को पार करती है.

दक्षिण.—कृत्रिम सीमा मध्यप्रदेश-राजस्थान एवं मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा से एक किलोमीटर सामानान्तर दक्षिण की ओर (स्थायी दूरी) पर पश्चिम से पूर्व की ओर पार्वती एवं चंबल नदी के किनारे जो गाँव बड़ोदिया, बिन्दी, राधापुरा, बड़खेड़ा, अदोतपुरा, मडोदिया (गुसाई), कालूखेड़ा, बहड़ाबंद, पहाडली, पनवाड़, राजारो, गुरनाबदा (उत्तनवाड़ा) सांकली, पटपडा, ग्रामल्दा, निमोदपीड, गाँवडी, पानडी, जलालपुर, उडवाड, सूडी, सीताखेडली, मखना खेडली, जुवाड मलारना, दलवा, बेहतेड़, इक्षना खेडली अडसा, मुलावपाड़ा, लहचोड़ा, सामरसा, ऊंचाखेड़ा, विजपुरी, श्रानवी, जवासा, डोंगनी, सेवापुर, सिरसोद, भानपुर, फतेहपुर, माकबोद, बगदिया, बरादरी, बिलौनी, खिरखिरी, दातेटी, बलावनी, खैरोदां खुदे, मिलावली, सुठारा, अरोदरी, नोमक, पिपरागी, क्षिरोरा, बरोली, चैनपुरा, जमुरती, बुआवर्क, नदीगाँव, लिलौली, जिमीरझा, पांचों नितनवास, बरौण, केमराकलान, केमराखुदे, गडला, बन्धर, गोदौली, अटार, डिगवर, खेड़ डिगवार, रोहकागाव, गाँजीखेड़ा, पालरी, बनवारा, नोरावली, खैरोल, खेरान, कलरपटी, झण्डपुरा कदावना, बरेन्ड, सिंगरीली, चित्रीनीचम्बल, तिंदोखर, विजगडी, मिलउवां, कोटरा, कोल्हडांडा, गुरजा, धिन्वरा, उत्तमपुरा, ताजपुर, सरसेनी, बिन्डनदेवगढ, नंदपुरा, गुढा, चम्बल, खांडौली, कंधरी, बिन्डवा, चम्बल, जैतपुर, चम्बल, भानपुर, नायकपुरा, गडौरा, गौरखा, रिठौरा खुदे, जखोना, ऐसहा, कुथियाना, बीलपुर, किसरील, अरौल, गोसवसई, मूलवसई, गुंज, तिरौल, नरवेई, रतनवसई, स्मर, रिठौरा, रखेड, लुधावली, जसैद, विन्डवा, रायपुर, कदोना, कुरेठा, सिलावली, धीरी, नगरापोरसा, भदावली, चापक, कापपुरा, कानेरा, खेरपट, नावली, बिन्दावन, अटे, देपुरा, सिगडवा, सालीपुर, खिपीनी डांगसरकार, पयरा, जमसासा, अकोन, नखलौली, कोसठ, विशोप, लोणा, परिखापा, रमा, भगवंतपुर, जोरी, अहीर गडा, चोचल, बेडरी, बड़पुरा, रानोपुरा, नारीपुरा, बखी, समन्ना, सगोड, कुमावली, जवई, सराया, जानपुरा, कुरौली, सांखरी, कांचई विण्डवा, से गुजर कर जाती है.

क्र. 4327-दस(दो)-82.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-12-दस (2)-82, दिनांक 24 दिसम्बर 1982 का संशेषी अनुयाय राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव,
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1982

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

भाग 1]

मध्यप्रदेश के राज्यपाल, दिनांक 17 जून 1983

823

Bhopal, the 24th December 1982

No. 15-12-X(2)—82. In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) and in partial modification of this department notification No. F-15-5-77-10(2), dated the 20th December, 1978 the State Government hereby declare the area defined below as the National Chambal Sanctuary for Crocodile, Gharial and other wild animals.

SCHEDULE

District—Morena & Bhind.

Name of Division—Sheopur, Gwalior (Soil Conservation).

Name of sanctuary—National Chambal Sanctuary.

Boundary

North.—The inter state boundary of M. P. Rajasthan and U. P.

West.—The interstate boundary of M. P. Rajasthan along the Parvati river up to the point where the Chambal right main canal crosses the Parvati river.

South.—Artificial boundary running parallel at a distance of 1 Km. south of inter-state boundary of M. P., Rajasthan and U. P. but from West to East basins through the villages on the bank of the Parvati and Chambal river. viz. Badodi, Bindi, Radhapura, Badkheda, Adotpur, Badodia (Gusain) Kalukheda, Behadaband, Pahadli, Panwad, Rajora, Gurnawada, (Utanwad) Sankdali, Patpada, Amalda, Nimodapur, Gawandi, Panadi, Jalalpur, Udwad, Sundi, Sitakhedhi, Makhnakhedli, Juwad, Malarna, Dul Khan, Behted, Ekshna, Khedli, Adisa, Muladpada, Lahchouda, Samarsa, Ilchakheda, Bichpuri, Awani, Jawaasa, Dhogni, Sewapur, Sirsaud, Bhanpur, Fatehpur, Makdod, Bagdiya, Baradari, Biloni, Khirkhiri, Dateti, Balawani, Khroda, Khurd, Milawali, Suthar, Arojari, Necmuch, Pipragi, Rizora Baroli, Chaimpura, Jamurdi, Buwawali, Nadigaon, Liloti, Jimiraksha, Panchaon, Nitanwas, Barooha, Khaimarakala, Kaimarakhurd, Gadula, Wanthar, Gandoli, Atar, Digwar, Khedadigar.

Rohukagaon, Ganjikheda, Palari, Banwara, Norwali, Khairol, Khairon, Kalarghati, Zundpura, Kadhawana, Barend, Singrouli, Chinnoni, Chambal, Tidokhar, Bijgarhi, Milauwa, Kotra Kalhi, Danda, Gurja, Dhinwara, Uttampura, Tajpur, Sarseni, Bindwa, Deogarh, Nandpura, Gadhachambal, Kandoli, Kaithari, Bindwachambal, Jaitpurchambal, Bhanpur, Naikpura, Gadora Gorkha, Rithora, Khurd, Jakhona Aisana, Kuthiyana, Bilpur, Kisroli Aroliy Gosbassi, Malwasai, Gunj, Tirol, Barwai, Haramwasa, Ruar, Hit, hora, Rached, Ludhavali, Used, Vindwa, Raipur, Kudauna, Kuretham Silawali, Dhorra, Nagaraporasa, Bhadawali, Chapak, Kachpura, Kanera, Kherghat, Nawli, Bindrawan, Ater, Repura, Vindwa, Salimpur, Khipona, Dangsarkar, Nayera Jamsara, Akon, Nakholi, Kosad, Bijora, Loga, Priyapa, Rama, Bhagwantpur, Joriahir, Gadha Chochad, Bedri, Badapura, Ranipura, Naripura, Barhi, Samanna, Sapad, Kuawali, Jawai, Saraya, Gyanpura, Kuroli, Sankhri, Kanchai, Vindwa.

East.—Inter-state boundary of M. P. and U. P. running parallel up to the distance of 1 km. along the chambal river.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. JAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 1983

क्र. 18-1-83-दस-दो.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-3-77-दस(2), दिनांक 22 मई 82 के अनुक्रमांक 5 खाता 4 में उल्लेखित "तथा अदमीकृत वन" शब्द अधिसूचना से काटे जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 1983

क्र. 18-1-83-दस-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसर्ण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-1-83-दस-दो, दिनांक 27 जनवरी 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. बी. लाल, उपसचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फ़ैक्स : 0755-2766315 फ़ैक्स : 0755-2766315 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/व.प्रा./न्याया./रा.च.अ./NGT-3/753

प्रति,

✓ डायरेक्टर पर्यावरण प्रभारी अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (E-mail : directorenv-pcb@mp.gov.in)

विषय :-

ओए क्रमांक 248/2022 New Item published in The Hindu dated 27 March 2022 titled "Digging up the Chambal" में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिसिपल बेंच) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के पालनार्थ।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक 278 तक/प्रनिबो/2024 दिनांक 24.01.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/व.प्रा./न्याया./रा.च.अ./NGT-3/692 दिनांक 24.01.2023

M.P. Pollution Control Board
BHOPAL M.P.

E/No.: 1836448

Date : 20/1/24

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिसिपल बेंच) नई दिल्ली में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के संबंध में प्रचलित प्रकरण ओए क्रमांक 248/2022 New Item published in The Hindu dated 27 March 2022 titled "Digging up the Chambal" में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के पालन पत्रानुसार वांछित जानकारी इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से प्रेषित की गई थी। आपसे दूरभाष दिनांक 25.01.2024 को हुई चर्चा अनुसार संशोधित जानकारी निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है:-

1. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के गठन की अधिसूचनायें राजपत्र दिनांक 20.12.1978 एवं 24.12.1982.
2. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको-सेंसेटिव जोन की अधिसूचना राजपत्र दिनांक 20.02.2020.
3. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित 2003) की धारा 26(3) में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की सिफारिश के सिवाय राज्य सरकार द्वारा अभयारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, का प्रावधान है। राज्य शासन इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की सिफारिश/अनुशंसा के उपरांत ही राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के 207.05 हैक्टेयर आंशिक क्षेत्र को डिनोफाई किये जाने की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31.01.2023 में जारी किया गया है।
4. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (अभयारण्य की घोषणा) में किसी क्षेत्र को अभयारण्य गठित करने के आशय की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 20.12.1978 एवं 24.12.1982 को जारी की गई है। अभयारण्य क्षेत्र में अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 26(ए) के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(असीम श्रीवास्तव)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

भोपाल, दिनांक 25-1-2024

क्रमांक/व.प्रा./न्याया./रा.च.अ./NGT-3/754

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल।
4. श्री प्रशांत हरणे, स्थाई अधिवक्ता, माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, भोपाल।
5. श्री मेहुल भारद्वाज, शासकीय अधिवक्ता, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल।
6. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर।
7. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मुरैना।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त जानकारी ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2018**

IN THE MATTER OF:

News Item published in The Hindu dated 27 March 2022 titled
"Digging up the Chambal"

VAKALATNAMA


I, **Hemant Kumar Sharma** working as **Director Environment** with **M.P. Pollution Control Board, Bhopal, (M.P.), and Officer- in – Charge** on behalf of State of M.P. in the above Application do hereby appoint and retain Ms. Rukhmini Bobde, Advocate to appear, plead and act for me / us in the above Application and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect thereof and applications for return of documents, enter into compromise and to draw any moneys payable to me in the said proceedings.

Date: 12.02.2024

Place: Bhopal



Advocate



(Hemant Kumar Sharma)

संचालक पर्यावरण
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

